

की शर्तों में दर्ज मकीन आराजी नम्बर 2181
 शब्दका 1.17 पंच मकीन आ. नं 2182. इका का
 4.06 किरवा प्रतिवादी को आकिव, रेन्गड
 अनुसार अंशवित्त भूमे है जिसके आकिव
 नं. 835/06 है। उक्त आराजियात को उस को
 अनअंजित वृषि भूमि को छोड़ते हुए अन्य
 आ. नं 2187/13 शब्दका 0.11 किरवा, मकीन आ. नं
 2400/4 शब्दका 0.15 किरवा व मकीन आ. नं
 2405 शब्दका 2.06 किरवा जो पुरतेली होने
 में उसमें वादी का नोशनल शेयर आठवा हिस्सा
 प्रतिवादी (चार बंदू वादी को देनी को संमत
 है। अतः अस्मानि के आधार पर वादा उक्तानुस
 रित्तो पारित वारत में सहमत है।

प्रतिवादी सामभोला पुपन अनुसार
 शोभ नभावा नपुर) मकीन आ. नं 2181 शब्दका
 1.17 किरवा मकीन आ. नं 2182 शब्दका
 4.06 इका का 1.17 पंच मकीन आ. नं 2182 शब्दका
 को आकिव, रेन्गड अनुसार अंशवित्त भूमे है जिसके
 आकिव, आ. नं 835/6 है। उक्त आराजियात को
 अनअंजित वृषि भूमि को छोड़ते हुए अदेश विभा
 लाता है कि अन्य मकीन आ. नं 2187/13 शब्दका
 0.11 किरवा, आ. नं 2400/4 शब्दका 0.15 किरवा
 व मकीन आ. नं 2405 शब्दका 2.06 किरवा
 भूमि पुरतेली होने में उसमें वादी का नोशनल
 शेयर का आठवा हिस्सा प्रतिवादी को देनी को
 सहमत शतकार होकित विभा लाता है। शपथ
 रेन्गड में वादी का नाम हिस्सेनुसार
 अंजन वार। डिवा जारी वार।

आज यह निर्णय सुले न पापालप में
 अनुपा-5पा।
 पत्रावाली केशल सुमार हो 012
 नम्बर से काम हो।

मूल वाद में डिकी
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर माण्डल
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान भगवानपुरा
पीठासीन अधिकारी : - देवी सिंह

उनवान जामा सिंह अंजित
बनाम चारचंद
दावा बाबत 99/11 होधजा एवं अयापी निवेधा.डा.
मुकदमा नम्बर :- 18 99/11
निर्णय दिनांक 12.6.15

वादी की ओर से की व प्रतिवादी की आरे
से प्रति स 01 की उपस्थिति में इसवाद में आज तारीख
को भगवानपुरा (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी माण्डल
के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और

डिकी दी जाती है कि
प्रतिवादी समझेतानुसार ग्राम भगवानपुरा नवीन 37 नं.
2181 शब्दा 1.17 नवीन 37 नं 2182 शब्दा 4-06 बिरवा
प्रतिवादी स 01 को शक्ति, शब्दा 3 अनुसार शक्ति भूमि है
जिसने, शक्ति, 37 नं 835/6 है उक्त अन्तर्जमात को
अनुमति वृत्ति भूमि के छोड़ते हुए आदेश दिया जाता
है कि, अन्य नवीन 37 नं 2187/3 शब्दा 0.11 बिरवा,
37 नं 2400/4 शब्दा 0.15 बिरवा व नवीन 37 नं 2405
शब्दा 206 बिरवा भूमि पुरतनी होने के इसमें वादी को
नोशनल शेयर का आठवा हिस्सा प्रतिवादी स 01 के साथ
वादी को सह-वास्तव्यार होमित विभा जाता है राजस्व
शब्दा 3 में वादी का नाम बिस्नेसनुसार अंजन वार


खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।
यह आज तारीख 12.6.15 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी
गई।

(देवी सिंह)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं

वाद के खर्चे पदेन सहायक कलक्टर माण्डल
प्रतिवादी


वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निवाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निवाह व्यय		आदेशिका की तामिल	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

- 1 श्री चंवरलाल पिता चारचंद सुनार नि० भगवानपुर
- 2 श्री चारचन्द पिता सुरलाल सुनार नि० भगवानपुर
- 3 सु० प्रियापुत्री गणपतलाल सुनार माता श्रीमती अनिता अपति श्री गणपतलाल सुनार (भगवानपुर)
- 4 सु० दिवा _____ do _____
- 5 सु० अंगु _____ do _____
- 6 सु० कुमकुम _____ do _____
- 7 सु० पापल _____ do _____
- 8 श्रीमती अनिता पति _____ do _____
- 9 " रत्न पुत्री चारचंद मा० गोबिंद श्याम सुनार चार
- 10 " देवपुत्री चारचंद _____ _____
- 11 " पालीपुत्री चारचंद पति गोविंद सुनार _____
- 12 " मनोहर पुत्री _____ - - - - - सम्पत _____
- 13 " अनिता _____ - - - - - गन्धर्वगौर - - - - - पीप
- 14 " ताहशीलादार माण्डल
- 15 " उप देवीपुत्री _____


 (देवी सिंह)
 पीठासीन अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहायक कलक्टर माण्डल

प्र० सं० राजस्व-वा० १११/११

मूल ही ताहशीलादार माण्डल को भोज कर लेखण्ड
 पिय डिप्टी डायरेक्टर धालना करे


 (देवी सिंह)
 पीठासीन अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहायक कलक्टर माण्डल